वह तो आप देखते ही है । आप हाऊसिंग मिनिस्टर है । साऊथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू में जो प्रदूषण होता है उसको आप कहां तक रोक रहे हैं, इसकी भी आप जांच करायें । डे इन एंड डे आऊट करप्शन और इनएफिशियंसी है । यह तो शहर की बात है । देहात का जहां तक सवाल है, देहात मे पीने को स्वच्छ पानी उपलब्ध नही है ।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : यह तो एयर पोल्यूशन का सवाल है ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं यह कहता हूं कि रुरल एरियाज मे प्रदूषण न हो इसके लिए आप क्या कर रहे है ?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, except thanking the hon. Member, I have nothing to say. I have already replied. The new point about atomic pollution I have noted down.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Sir, Mr. Pant made a few pointed suggestions and he wanted the hon. Minister to react to them. The first point was whether the Central Board which will be constituted under this Bill will be an independent Board, independent of the Water Pollution Board; and secondly, whether the Chairman of this Board will be a full-time Chairman or a part-time Chairman. I hope the hon. Minister will react, to it. He has not replied to these two specific points.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I said I have noted their suggestions and the Government will be benefited by the suggestions made by the hon. Members who participated in the debate.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Mr. Nanda, the provisions of the Bill are there before you. The suggestions which Mr. Pant made are, I think, very valuable suggestions and the Minister will certainly take them into consideration when the Bill is implemented.

Now, the question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

THE SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL, 1980

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Now, we go to the next Bill, the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1980. Mr. Bhishma Narain Singh.

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मान्यवर, इस विधेयक को मै हिन्दी में प्रस्तावित करना चाहूंगा । हमारे कई सम्मानित सदस्य राजभाषा समिति के सदस्य है, मैं भी राजभाषा समिति का सदस्य हू । उन्होने कहा कि इस तरह के जो विधेयक वगैरह आप प्रस्तावित करते हैं, उनको हिन्दी में प्रस्तावित करने की चेष्टा करे । तो जरुर मैं उनके सुझाव के अनुसार आपसे अनुमति चाहूंगा कि हिन्दी मे ही इस बिल को प्रस्तावित करुं ।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : खुशी से लेकिन ऐसी हिन्दी बोलिये जो सब की समझ में आ जाए ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

उपसभाध्यक्ष महोदय, अधिनियम की धारा 8क के अधीन कोई भूतपूर्व संसद सदस्य पेंशन पाने का उस समय तक हकदार नही जब तक कि उसका सदस्य के रूप में कार्यकाल कम से कम पांच वर्ष का न हो। पहली तीन लोक सभाओं की प्रत्येक की वास्तविक अवधि पांच वर्ष से कुछ कम थी। अत: कुछ भूतपूर्व सदस्य इनमें से हैं वे लोक सभा की पूरी अवधि के कार्यकाल तक सदस्य रहने के बावजूद भी पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। अत: यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति जिसका संसद सदस्य के रूप में कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि से अधिकाधिक 60 दिन कम पड़ता हो उसे भी 300 रुपये प्रति मास की पेंशन दे दी जाए। श्रीमन, इससे होने वाले अतिरिक्त व्यय का सही सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि इस संशोधन के पश्चात पात्र बनने वाले भूतपूर्व संसद सदस्यों की संख्या हमारे पास नहीं है। क्योंकि यह विधेयक बहुत ही सामान्य और अविवादास्पद है, मुझे आशा है कि सदन के सभी पक्षों से इसे समर्थन मिलेगा। यह अधिक चर्चा के बिना ही पास हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन द्वारा विचार के लिए पेश करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया) : मोशन मूव्ड यानी इसका अर्थ यह है कि प्रस्ताव रखा गया। ठीक कहा मैंने डा. भाई महावीर जी।

डा० भाई महावीर (मध्य प्रदेश) : ठीक कहा आपने।

THE VICE CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I wanted to take the precaution. यहां पर कोई रखा नहीं गया। तो मैंने इसलिए कहा कि आप तो हिन्दी के बहुत बड़े विद्वान हैं।

The question was proposed.

SHRI V. B. RAJU (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, this is an amending Bill to the 1954 Act which refers to the concessions or privileges or facilities granted to the Members. Now this amendment is for those who are no longer Members, that is, those who have ceased to be Members. But has the Minister considered what the fate is of the sitting Members?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I wish them well.

SHRI V. B. RAJU: After all, life is continuous. In fact, a nation's image is built up on how it looks after the representatives of the people in Parliament and the primary school teachers. That is how things are viewed. Is the Government really interested in keeping the life-style of Members who are stationed in Delhi, in seeing that they maintain certain standards, at the same time creating certain facilities which will make the Members involve themselves in the business of Parliament? Why should there be this sort of an *ad hoc* approach? This is called a 60-day Bill. Why is this amendment brought here? Some Members have been deprived of the facility because they were short of sixty days because of a contingency. Tomorrow supposing the House will be dissolved only after one year, are you going to bring another amendment? As you know, Indian Parliament, particularly Lok Sabha, the other House, is not assured of a permanent tenure. When you

prepare a legislation, when you bring an amendment, it must be well considered in all its aspects, future, past, everything. What is the fun of bringing an amendment for every small contingency wasting so much precious time of Parliament? In fact, Parliament has become a manufacturing house of legislation and legislations become very complicated because bills are not well considered. At one stage it was agreed that we should have a committee system in Parliament where these things will be thoroughly considered. But that was sabotaged by some Ministers at that time—I know that—because they felt that their independent power will be eroded. *Luckily the Kerala Assembly is experi*menting on it. They have sent us a document also on this. The Parliamentary Affairs Minister is a very well-meaning Minister. He is a young man. I am sure he will consider the matter seriously, because he may have to be in Parliament much longer than some of us, because we are old and we will go back soon. Therefore, this piece of legislation must have been thoroughly considered.

Let me say a few words about the state of affairs of the existing Members, the sitting Members. When was this amount of Rs. 500 determined, Mr. Minister? In 1954. What has been the price inflation since then? Even between February 1978 and January 198' it has gone up by 40 per cent It should be considered that a Member has to maintain two establishments. Probably Patna may be very near to you. But a Member coming from Kerala, from Madras, from Trivandrum, has to undergo a long and tedious journey, under great strain. But apart from that, some Members have to maintain three establishments: at the village—if he is coming from a rural area—, at the State headquarters and then at Delhi. Do you think a Member can honestly get on with your Rs. 500 salary?

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh): Rajugaru, you mean three establishments or three families?

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI) *in the Chair*]

SHRI V. B. RAJU: It is only preserved for reserved Members and not for all and they cannot afford. If they can afford, I do not know how it will look like.

Now, Sir, the Members are given only five hundred rupees as secretarial allowance. What does it mean? What do you mean by that? Can we have a stenographer for five hundred rupees in Delhi today? Is it possible? Can we have an assistant with this money? Now, this sort of pittance, this sort of charity, you must forget about. I know everybody would like this, but nobody would like to say so. They would like to have it and no one would say anything about it. This is hypocrisy, as I call it. Very recently...

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Raju, it is a part of our national life.

SHRI V. B. RAJU: Hypocrisy is a fine art in this country. You see the House of Commons Members and how they have been treated very recently. Mr. Minister, I would request you to go into it and revise the scale of allowances. You take a realistic view and don't be ashamed of it. We are not given any luxuries. But, actually, we are given only the minimum standard of living. Mr. Minister, if you have to invite us to a dinner, we have to think twice before accepting it because we cannot afford to pay for the taxi to and fro. I myself avoid going to social functions and dinners only because of the travel difficulty. When my case is so, a person who has been here for more than a decade, what about the

[Shri V. B. Raju]

new Members who have come? I think the legislative assemblies have been much wiser than we are here. Take the case of Karnataka from where Mr. Shankaranand comes. Seven hundred rupees is the salary and Rs. 51 is the actual daily sitting fee. Then, a sum of three hundred rupees is given for other things. In Andhra Pradesh, they give houses free of rent. They give for a member and his spouse passes in the State transport to go round the State.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Karnataka): In Karnataka, houses are given free of rent.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHIV SHANKAR): Ministers get Income-Tax also.

SHRI V. B. RAJU: So, do you want us to beg you? You are also suffering and I know your ministerial salary is very meagre. Therefore, I am putting forth this point out of reason and not as a matter of criticism. I hope I am speaking for all the Members even though I do not have that much of a representative capacity. But these are the feelings which I am expressing now and we don't need much of debate on this point. Everybody must be looked after well. I mean to say, quite comfortably here. Sir, in the Indian situation, when a politician gets out of the legislative office or whatever office he holds, he has no other profession to fall back on. But it is not so in the Western countries. The moment he goes out, there is a place available to him. And, Sir, the Indian public workers are not experts who come to the Houses here. So, you must make them feel comfortable and contended in the sense that they are able to give more importance and more time to the business of the Houses.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: To make them more functional.

SHRI V. B. RAJU: We are not to be worried about our economic constraints and our economic miseries. Take the elections of the Lok Sabha. The Rajya Sabha elections may not be so costly. How costly they have become now! You are punishing those who cease to be Members on the dissolution of the lower House. I take the Lok Sabha Members as tenants-at-will. The landlords can chuck the tenants out at any time, at will. If not now, at least it was so in the past. But a Member of the Lok Sabha can be chucked out in two ways: One, by the electorate he may be thrown out and, number two he may be thrown out on the dissolution. Of the house by the President You don't pay these who have not been there for full five years. As a matter of fact, a Member who has been there for the shortest duration must be paid more. You go into the logic of this. It is not for his mistake that he is actually going out. It is only because the House is dissolved. So, in reality, a Member who has been there for only one year is in an aweful position, or a person who has been there for two years is in an aweful position. Do not measure like a tailor. Why do you do so? When once he is a Member, whether it is five years or ten years, he must get a pension of a thousand rupees. You should look to the dignity of the representatives of the people. They are the representatives of the people and they are not civil servants, they are not permanent civil servants. Therefore, I would request you earnestly to take the advice of the wiser Members of both the Houses, to consult them to have a committee on this and go thoroughly into the working of Parliament and also into the contribution made by the Members and also to find out why they are not able to make contribution. In fact, they should study more. There

[Shri V.B. Raju]

should be study classes conducted by senior Members. All these are not present here. In fact, Members of Parliament should travel more. They should tour the country first before they see the world outside. Tell me, how many Members in this House have toured the whole of India? Even myself having been for ten years here, could not go all over India. I would not go to the Andamans. I hope to cover that place this year. You must make it convenient. You are the custodian of the interests, of the Members. Mr. Minister. We are looking to you. Mr. Raghuramaiah used to take a lot of interest. He always had time for Members. In some States, they give house-building advance of Rs. 45,000 to enable them to build houses. Some States give Rs. 30,000 as advance for purchase of a car. I think they have shown more wisdom. If we seek these things, we fear the people may not take us to be Gandhians. We want to pretend we are Gandhians. We are not. Let us not deceive ourselves. We are entirely different. Just now we have passed a legislation about environment. Now take the social environment. I know how a member has actually to look to his constituency, how to feed the people who come here, how to keep them happy and how to see that their work is done. I need not repeat these things. I think the Minister has already appreciated what my feelings have been

Now, coming to the 60 days, I did not move an amendment. Sixty days has no relevance. Forget it. I do not think that since something has happened earlier you should keep these 60 days. After some time you delete these sixty days. Some Assemblies have fixed Rs. 50 every month for one year, for two years Rs. 100 for three years Rs. 150 and so on. Now they have put a ceiling. I do not mind a ceiling even if it is a thousand rupees. A political pensioner has to be looked after well. It is our duty. Why do you want to bargain on these things. Mr. Vice-Chairman, Sir, I think you also share our feelings, I am sure (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I cannot express them here. (*Interruptions*).

SHRI V. B. RAJU: When you were here, you were fighting for the small-scale industry, fighting for agriculturists; you fight for many things.

DR. BHAI MAHAVIR: When he is here he is A. G. Kulkarni. But in the Chair he is just like a machine which has no sentiments.

SHRI V. B. RAJU: You will also take the earliest opportunity to fight for the interests of Members of Parliament.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Ramanand Yadav. Ten minutes.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: I also want to ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You tell the Minister, because here there is nothing.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने अमेंडमेंट पर तो बोलूंगा ही लेकिन खास कर के मैं राजू साहब के सेंटीमेंट्स के साथ हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि राजू साहब ने जो अभी भाषण में सेंटीमेंट्स व्यक्त किये हैं हम सभी लोग उन के साथ है। उपाध्यक्ष जी संसद-सदस्य को जो सुविधाएं

[श्री रामानन्द यादव]

मिलती हैं उन की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप को ऐसा लगेगा कि आज के युग में जितनी तनख्वाहें मिलती हैं उन का बड़ा हिस्सा कट कर उन सुविधाओं के किराये में चला जाता है। घर को ले लीजिये। घर का किराया, पानी का रेन्ट, फर्नीचर का किराया और आल्टरेशन हो उस घर में, लेटरीन घोड़ा टाइप की है और मानव टाइप बनवायी जाय तो उस का भी खर्चा हमीं लोगों पर लगता है। (**व्यवधान**) इंगलिश टाइप का जो है...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I cannot follow your horse type. I do not know whether it is parliamentary or unparliamentary.

श्री रामानन्द यादव : घोड़ा टाइप यानी इंगलिश टाइप। उसे अगर आप भारतीय टाइप या देशी टाइप का बनवाना चाहते हैं (**व्यवधान**) सुनिये तो। अगर आप ने लिख कर दिया सी. पी. डब्ल्यू. डी. को कि बना दीजिये तो बनायेंगे तो लेकिन उस का खर्चा हम लोगों पर पड़ेगा। आप को यह जान कर ताज्जुब होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You are a farmer. You can go out.

श्री रामानन्द यादव : उपसभाध्यक्ष जी, यह तो मैंने आल्टरेशन के संबंध में सुनाया। बिजली और पानी की रीडिंग के लिये हम लोगों के यहां कोई नहीं जाता, उनकी इच्छा जितनी हो हम लोगों पर बांध देते हैं। मैं एक बार बाहर गया था, मेरे घर के सारे पंखें बन्द हो गये थे, लेकिन गर्मी में भी उतना ही बिजली का चार्ज, जाड़े में भी उतना ही बिजली का चार्ज। जाड़े में पानी गर्म करने के लिये हम लोग बायलर रखे हुये है। वह भी बन्द हो जाते हैं गर्मी में। जाड़े में पंखें नहीं चलते। कोई ऐसा शौकीन व्यक्ति हो सकता है, जो जाड़े में मच्छर भगाने के लिये पंखे चलाता हो। ऐसे लोग है तो उनका हो जाय तो हो जाय। लेकिन हम जैसे आदमियों के साथ, जो घर बन्द करके चले जाते हैं, पंखें बन्द हैं, ऐसी स्थिति है कि फिर भी बिजली का चार्ज उतना ही होता है जितना जाड़े और गर्मी में।

इतना ही नहीं फर्नीचर सबसे खराब हम लोगों को दिया जाता है—रिजक्टेड। कुर्सी का बाजू टूट गया, मैंने लिख कर दिया कि इस को बदल दो तो बदलने के लिए मेरे घर 97, साउथ एवेन्यू से उठा कर इनक्वायरी में ले जाने का भी खर्चा हम लोगों पर लगता है। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री रामानन्द यादव : आप पढ़ते नहीं हैं, आप को मालूम नहीं है, लगता है कैरिज का। उपसभाध्यक्ष जी, अब मैं बागवानी पर आता हूं। बागवानी के लिये हमारा 15 रुपया महीना कटता है, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे। मेरे बहुत कहने सुनने पर मेरा माली बराबर रहता है, लेकिन उस माली को आर्डर होता है कि जितनी उसकी काम करने की क्षमता है उस से अधिक काम करो। हम लोगों का किसी का गार्डन ठीक से मेन्टेन नहीं हो सकता। मैं खुद सब्जी लगाता हूं। माली कहता है, बाबूजी, आप फोन कर दो। मैंने पपीता लगाया है, गोभी लगाया है। मैं खुद सब्जी लगाता हूं। वह कहता है कि जितनी जमीन उसके लिए है उसी में लगाइये, सहन की जमीन में आप नहीं कर सकते। लिमिटेड जगह है जहां हम बागवानी करते हैं, फाजिल जगह में नही कर सकते। हम को 15 रुपये देना पड़ता है पर महीना और काम दो रुपए का भी नहीं होता। उपसभाध्यक्ष जी, इस तरह से हम लोगों का शोषण होता है।

हम तो ट्रेड यूनियन बना नहीं सकते । अगर इन तकलीफों के संबंध में हम कुछ कहें तो ऐसा समझा जायगा कि यह लोग तो इतने स्वार्थी हो गए हैं । राजू जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग पोज करते हैं कि हम गांधियन हैं, लेकिन उसके बाद ही हैज स्टार्टेड टेंनिग दीज थिंग्ज । तो हम सब लोग फील करते है कि आज के युग में जब इतनी मंहगाई हो गई है तो इस के संबंध में सरकार को सोचना चाहिए । एड हाक बिल जो लाया जाता है उसको न ला कर मैं चाहता हूं कि एक कांप्रेहेंसिव बिल लाया जाय जिससे कि सब मेम्बर संतुष्ट हो जायें । आप कहते हैं कि हम करप्शन कर रहे हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं । लेकिन अगर कोई हमारा गैस्ट आ जाय तो क्या करें ? क्या उस से कहें कि आ रहे हो तो उधर से कुछ लेते आना । पटना से आ रहे हो तो चावल लेते आना । क्या आप चाहते हैं कि हम लोग यही करें । क्या आप चाहते हैं कि हम दूसरों पर आश्रित रहें ? आप इतना पैसा हम लोगों को दीजिए कि हम एक सम्मानित जीवन बिता सकें । राजू साहब ने कहा कि हम लोग कितनी ही पार्टियां छोड़ देते हैं । मैं भी दो तीन शादियों का निमंत्रण पाया, उन में नहीं गया । हिसाब जोड़ा कि टैक्सी वाला तो काफी लेगा, कम से कम सात रुपया लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा । मैंने उस समय स्कूटर की खोज करवाई, लेकिन आप जानते हैं कि सात बजे के बाद तो साउथ एवन्यू में स्कूटर मिलता नहीं । उसके न मिलने पर मैंने विचार किया कि नहीं जाऊंगा । दूसरे दिन वे मेरे मित्र मिले । कहा कि तुम आये नहीं । मैंने कहा कि छोड़ो भाई, नहीं आ पाया । बीमार पड़ गया था । तो आप हम से झूठ भी बुलवाते हैं । इसलिए अच्छा है कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिससे हम एक सम्मानित जीवन बिता सकें और अपनी आत्मा को बचा सकें और करप्शन न करें । आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि मैंने टेंट लगाया इस किसान रैली के मौके पर और 700 रुपये उस टेंट का बिल आया हुआ है दो दिन के लिए । आप सोचिए कि मैं उसे कहां से दूं । या तो वह मेरी सैलरी से कटेगा सात सौ रुपया..

श्री मनु भाई पटेल (गुजरात) : पार्टी को भेज दीजिए **(व्यवधान)**

श्री रामानन्द यादव : डोंट डिस्टर्ब । बनेंगे गांधीवादी और जब सैलरी बढ़ जायगी तो लेने लगेंगे । उपसभाध्यक्ष जी, तो मैं कह रहा था कि वह सात सौ रुपए का बिल मैं कहां से दूंगा । मेरे गैस्ट उस दौरान आए और मैंने उनको खिचड़ी खिलाई । दाल भात नहीं दे सका । खिचड़ी बनायी इस लिए कि मेरी एकोनामिक हालत ऐसी थी कि मैं उनको पूरी नहीं दे सकता था । डालडा 16, 17 रुपए किलो से लेकर पूरी और तरकारी नहीं खिला सकता था । इसलिए मैंने चावल लिया और हिसाब लगा कर देखा कि खिचड़ी देता हूं तो काम चल जायगा और इसलिए उस में दाल और सब्जी डाल दी । और उसे सब खालेंगे और मुझे वही अपने गैस्ट को खिलानी पड़ी दो-चार दिन तक ।

एक माननीय सदस्य : बड़े गरीब हैं ।

श्री रामानन्द यादव : कोई ऐसा दिन नहीं जाता और कोई ऐसा एम पी नहीं होगा कि जिसके यहां गैस्ट्स न आते हों । चाहे वह दक्षिण भारत का हो या कामरूप का हो या काश्मीर का हो या इस साइड का हो, ऐसा नहीं होगा उसके कि यहां दो चार गेस्ट्स न रहते हों । मैं तो खिलाता नहीं हूं । मैंने निश्चय कर लिया है और साफ कह दिया है कि मैं तो चाय नहीं पीता और मैं खिला नहीं सकता । मेरी इतनी हैसियत

[श्री रामानन्द यादव]

नहीं है और मैं अपने घर का इतना मालदार आदमी भी नहीं हूं। तो लोग जब मेरे यहां आते है तो एक बुरी भावना लेकर ही जाते है। मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं खा रहा हूं और मेरा गैस्ट बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अच्छा यह हो कि मैं अपने निवास स्थान 97, साउथ ऐवेन्यू पर क्यों न लिख दूं कि आवास मेरा, भोजन तुम्हारा। मैंने यह सोचा है ताकि मेरे यहां आते ही सब जान जायें और सुन लें कि आवास मेरा, भोजन तुम्हारा, केन्टीन तुम्हारी, वहां कैन्टीन 16 या 20 नम्बर में है, तो भोजन मेरे साथ तुम्हारा नहीं, मेरा तुम्हारे साथ कभी कभी होगा। तुम हमारे साथ भोजन कभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी कभी भोजन कर सकता हूं। तो आप सोच लें कि यह मनोवृत्ति आज हर एक की हो रही है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं आप से कहता हू, आप के द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी विधायक रह चुके हैं और बड़े सुयोग्य व्यक्ति है। इस को कोई उन को देखकर ही जान सकता है। उनके यहां जो भीड़ लगी थी इस बार और वह तो बराबर लगी रहती है तो आखिर हम लोग कहां जायेंगे। सार्वजनिक जीवन में आप लोग भी रहते है और हम लोग भी रहते हैं। किसी पोलिटिकल पार्टी के एम पी हो, उनके घर पर तो लोग आते ही रहते है। मानवता का संबंध तो आखिर जुड़ा ही रहेगा। जब पोलिटिकल पार्टी का जलसा होता है तो हम लोगों की परेशानी बढ़ती है। इसीलिए हम मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि एक कांप्रिहेंसिव बिल लायें और समय के मुताबिक लायें ताकि हमको सम्मानित जीवन बिताने का आधार मिल सके।

उपसभाध्यक्ष जी, फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सैनानियों में बहुत से एम० पी० लोग भी है, बहुत से मर गये, अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। लेकिन थोड़े से लोग हैं शायद इस हाउस में भी तीन चार आदमी होंगे—केसरी जी है, मैं हूं और उधर भी कुछ लोग होंगे, जिसका मुझे पूरी तरह मालूम नही है, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स बहुत से एम० पी० भी है। इंदिरा जी ने यह बहुत अच्छा किया कि फ्रीडम फाइटर्स को पेंशन दी लेकिन उनकी हालत खराब हो गई है तो तीन सौ रुपया उनके लिये एक बड़ा सहारा हो गया। लेकिन अगर कोई एम० पी० हो जाय तो जो अमेंडमेंट हुआ है इसके प्रावधानों के कारण एम० पी० तो फ्रीडम फाइटर की पेंशन ले सकते है, स्टेट से भी ले सकते हैं और सेंटर से भी ले सकते है लेकिन जिस दिन हम एम० पी० नहीं रहेंगे तो यह बिल ऐसा है कि इसके मुताबिक हम फ्रीडम फाइटर की पेंशन नही ले सकेंगे। न स्टेट का लेंगे और न केन्द्र का लेंगे। तो हमने इसमें सुझाव दिया है कि क्यों आप इस पेंशन को रोकते हैं। वह तो एक रिवार्ड है। वह देश की सर्विस के लिये दिया गया है। तो इस अनोमली को भी हटाइए। फ्रीडम फाइटर्स के लिए कांग्रेस की सरकार ने इतना किया तो यह भी कर दीजिये। इसके संबंध में आप चिन्तन करके इस अनोमली को हटाकर बिल लायें तो अच्छा रहेगा। अगर मंत्री जी इस सुझाव को मान लें तो बड़ा अच्छा होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, सरकारी कर्मचारी मर जाता है तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है और चीजें भी मिलती है, उसके बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता। हम लोग किस परिस्थिति में यहां काम करते हैं यह आप से छिपी बात नहीं है। ऐसी हालत में मैं सरकार से चाहूंगा कि वह एक कांप्रिहैंसिव बिल लाये।

उपसभाध्यक्ष जी, एक सुझाव और देना चाहता था। एयर सर्विस की हमको सुविधा मिलती है। जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो हम लोग इसको यूटिलाइज करते है। मैं सरकार से कहूंगा

कि इसी तरह से सेशन के बाहर भी यह सुविधा दी जानी चाहिए ताकि हम लोग दूसरी जगहों पर जाकर हालात को देख सकें ।

जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

SHRI MANUBHAI PATEL: Sir, I was expecting that the hon. Minister for Parliamentary Affairs who is so tactful and courageous, would not come with such a half-hearted measure in the form of this Bill which lacks courage and also the experience which he was sharing with us because he also comes from the rank and file, from workers' group; he also is experiencing the same difficulties as other Members. Mr. Raju has rightly said that it becomes very embarrassing for Members to ask for certain amenities as if it is for themselves. The amenities which are being requested for, are not for themselves personally but in performing their duties as Parliamentarians, members of the highest national forum here. The difficulties which they experience and face, I think, should be the concern of the whole nation. But because it is for both the Houses to pass the legislation, it has come before this House. So, it is for the institution, not individually for A, B or C. So, I expected that the Minister would come with a comprehensive Bill. This is a very limited amend-

4 P.M.

ing Bill. This only pertains to the first three Lok Sabhas, the First, Second and Third Lok Sabha. This is a discrimination; because these three Lok Sabhas were short by sixty days, you are granting this concession and you are not granting the same concession in regard to the Fourth Lok Sabha, which enjoyed a tenure of four years and which was dissolved by none of the fault of the Members, but at the sweet will of the Government. What was their fault? Why have you excluded the Fourth Lok Sabha from this? What will happen to the Fifth Lok Sabha and so on? This sort of discrimination between a Member and a Member, I think, is not a good step. Once a Member is elected and he takes oath, there should be no discrimination between a Member and a Member. Suppose, a Member takes oath here, in the Rajya Sabha. He is a new Member. Suppose, he dies within one day after taking oath. Because he has not spent five years, will this not apply to him? Government should have considered all these things. As far as the scope of this Bill is concerned, I would request the hon. Minister, who has sympathy with the Members because he is one among us, to consider this and he should see that there is no discrimination between the First, Second and Third Lok Sabhas and the Fourth and Fifth Lok Sabhas. There should be no discrimination between a Member and a Member whether he has taken oath and spent five years or he has spent two days or five days. He should consider this It seems, the bureaucrats who have prepared this Bill have not applied their mind to the human aspect. Members are human. They work hard. Hence, this human aspect should also be considered . would not like to go into the details. Mr. Raju and Mr. Yadav have very ably pointed out these things.

Another discrepancy is in regard to pension The hon. Member, Mr. Yadav, has suggested one thing. But there is one another discrepancy. When a Member is there and he is a freedom fighter, drawing pension, which is now called *Sanman* pension. irrespective of his income, he can draw that pension and he can also draw the allowances and so on as a Member, when he is a Member. But when he ceases to be a Member and when he becomes a pensioner of Parliament, he will have to draw this pension minus the pension to which he is entitled as a freedom fighter.

AN HON. MEMBER: Whatever he chooses.

SHRI MANUBHAI PATEL: I think, this should also be considered. There are other points which should also be considered and a comprehensive Bill should come before the House. Why should you put us into this embarrassing position, every time requesting us to grant this concession? Could you not have included the rail journeys and so on?

Now, Sir, a Member is allowed to travel with his wife or spouse only once while a Session is on and she can go back from Delhi to the constituency only at the end of the Session. In between, if she goes, the pass will be invalid. A Member has to spend from his pocket. Is it ever possible for us, during the long Budget Session which goes on for three months, keeping the children at home? Is it ever possible for the wife to come at the beginning of the Session and stay with the husband till the end of the Session and not care for the children at home? She may have to go in between. What happens to that? you should have considered this. What happens to our intermediate air journeys? You have allowed Members to make intermediate air journeys. But they can use it only when the House is in Session. But in between Sessions, what happens? It lapses. Is it possible for a Member to utilise the intermediate air journey, spending three or four days outside Delhi, when the Session is on? He can spend only one day and the next day he has to come back. Otherwise, he cannot attend the Session. If he comes late, he will lose the daily allowance also. These are so many details which should be looked into and these are not excessive demands. I am not talking about other things. I know; it is the experience of most of the Members that when the salary bill comes, sometimes, we have to pay from our side. The total amount does not come. There are many deductions on account of telephone, water, house rent and so on and we are left with Rs. 5 or Rs. 10 at the end of the month. This is the position. So, if you are prepared to consider all these things, it is well and good; otherwise, may I suggest: Take total care of the Members. Take total care of the Members, give them free house, free food, free clothes, free transport, give them everything, look after them fully and let them perform their duty. When a doctor or a professional lawyer or a person with some other profession enters either of the Houses, he loses his practice, he neglects his profession and the result is that he has to lose at both the ends. And those who are non-professionals, who are politicians, who are solely dependent on this, they are full-time members and they have no other livelihood. Taking all these things into consideration, I would request the hon. Minister to kindly come before this House again, during this session itself. This should not be delayed. Otherwise, everytime this becomes a subject of discussion in the public, and in the eyes of the public we are looked down, as if we are begging for something. This is not good for the representatives in the highest forum of the country.

I would, therefore, request you to kindly look into this and please come forward with a comprehensive Bill so that the real difficulties being faced by the Members are removed.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अपनी अलग राय रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं आदरणीय श्री रामानन्द यादव जी का भाषण सुन रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कोई अतिवादी विचार-धारा का व्यक्ति नहीं हूं। अतिवादी की दो धाराएं होती हैं—एक अतिवादी भोग और दूसरी अतिवादी योग। मैं चाहता हूं कि हमें अति योग में भी नहीं चला जाना चाहिए और न ही हमें अति भोग में जाना चाहिए। मैं मध्यम मार्ग को मानने वाला व्यक्ति हूं। यह गौतम बुद्ध की भूमि है। यहां पर सम्यक

भोग, सम्यक योग और सम्यक ज्ञान का रास्ता अपनाया जाना चाहिए ।

श्री रामानन्द यादव : मैंने समय की चर्चा की है । हमें समय के अनुसार चलना है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता के प्रतिनिधि होने के कारण हमें ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिएं । लेकिन हमारे साथी यह कहेंगे कि अगर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आप ले लेंगे । मैं यह कहूंगा कि समाज के अन्दर न तो अति भोग की धारा बहनी चाहिए और न ही अति योग की धारा बहनी चाहिए । समाज में अगर अति भोग की धारा होगी तो हम उससे बच नहीं सकते है और यह फिसलन की धारा बहती रहेगी । मैं समझता हूं कि सरकारी अफसरों और हमारे बीच में कोई तुलना नही होनी चाहिए । हमारे देश में जो लोग दूसरे क्षेत्रों में लगे हुए हैं उनके साथ हमारी तुलना नहीं की जा सकती है । हम जनता के सीधे प्रतिनिधि हैं । हम लोग यहां पर जनता के प्रतिनिधि और मालिक की हैसियत से काम करते हैं हम यहां पर देश के नौकर की हैसियत से बात नही करते है । मालिक और नौकर में कुछ अन्तर तो रहना ही चाहिए । हमें इस देश के और इस समाज के एक-एक पैसे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना है । हम इस देश में जब यहां हिन्दुस्तान की सर्वोच्च संस्था मे बैठे हुए हैं तो हमारा ध्यान हिन्दुस्तान में जो 60 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनकी तरफ भी जाना चाहिए । हम लोगों को वही सुविधाएं नही मिल सकती हैं जो बिरला और टाटा को मिलती हैं । हम लोग जब अपनी सुविधाओं के बारे में सोचें तो हमें इस देश के करोड़ों लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस राय का भी हूं कि हम अपने ऊपर उन कानूनों को लागू करे जिन कानूनों को हम दूसरे लोगों पर लागू करना चाहते हैं । मेरी राय तो यह है कि अगर कोई साधारण आदमी किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो उसको छः महीने की कैद होती है, लेकिन अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा जाये तो उसको छः साल की कैद होनी चाहिए क्योंकि हम यहां से गंगोत्री की धारा बहाते हैं । यह धारा सारे देश में फैलती है । जनता के प्रतिनिधियों की इस धारा से हमारे देश की जनता प्रभावित होती है । इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि हमारे ऊपर उन कानूनों को लागू किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से अगर कोई संसद सदस्य भ्रष्टाचार करता है या संसद-सदस्य की हैसियत से अरबों की धन-संपत्ति अर्जित करता है तो उसको अधिक से अधिक दण्ड दिया जाना चाहिए । जिस प्रकार से साधारण कानूनों में दण्ड दिया जाता है उससे अधिक उसको दण्ड दिया जाना चाहिए । आप जानते है कि हमारे अधिकार असीमित हैं । दुनिया के अन्दर में, आज हिन्दुस्तान के अन्दर जनतंत्र व्यवस्था के अन्दर में, प्रतिनिधि शासन के अन्दर में दो विचार हैं । एक ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं जिनके लिये ईश्वर असीम है । लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिये यह संस्था असीम है, स्वयं हमारी सीमायें असीम है, संसद का अधिकार असीम है । ऊपर आकाश है तो नीचे पाताल है । शून्य मे जितने और जिन सवालों को हम चाहें संसद में उठा सकते हैं । इसलिये हम असीम हैं । हमारे इतने बड़े अधिकार हैं, हम अपने को उनके साथ जोड़ने का काम करें ।

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मै एक-दो बात कहकर समाप्त करूंगा । मैं जानता हूं कि जो एक मानस है मैं उसके विपरीत बहने वाला आदमी हूं और इसीलिये मैंने यह प्रश्न उठाया है । मै इसका विरोध करता हूं । मै मांग करता हूं कि पैसे के स्थान पर इन संसद सदस्यों को काम करने की सुविधा आप दीजिये । काम करने के लिये जितनी सुविधा दी जाय, दीजिये । उनको पोस्ट-कार्ड दीजिये, टिकट दीजिये, लिफाफे दीजिये, टेलीफोन की सुविधा दीजिये, उनके यात्रा भत्ते की सुविधा बढ़ा दीजिये । अगर आप ऐसा करते है तो मेरा इससे कोई विरोध नहीं होगा । लेकिन पैसा ज्यादा बढ़ाते चले जायें इससे मेरा विरोध रहेगा ।

आखिरी बात उपसभाध्यक्ष महोदय, कहकर मै समाप्त करूंगा । भत्ते के संबंध में मैं यह चाहता हूं कि अगर आप भत्ता दे रहे है, संसद सदस्यों को तो इसके लिये एक बार जो संसद सदस्य हो जाय और अगर फिर वह संसद सदस्य न रहे, तो उनको पैसे के अभाव में इस तरह की जिन्दगी न जीनी पड़े जिससे कि भूतपूर्व संसद सदस्यों का अपमान न हो, अगर आपका यह दृष्टिकोण है तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अगर 5 साल से 60 दिन कम कोई संसद का सदस्य रहेगा तो उसको भी भूतपूर्व संसद सदस्य कहा जायेगा । जो 3 साल संसद सदस्य रहेगा, दो साल रहेगा, ढाई साल रहेगा, जैसे कि बाई इलेक्शन में चला आता है और फिर वह दूसरी बार न आ सके तो उसको भी भूतपूर्व संसद सदस्य लिखा जायेगा और जो 10 साल तक संसद सदस्य रहेगा हटने के बाद उसको भी भूतपूर्व संसद सदस्य कहा जायगा । इसलिये एक बार कुछ दिनों के लिये भी अगर कोई इस सार्वभौम संस्था का सदस्य हो जाता है तो उसको भी संसद सदस्य की वे सारी सुविधायें मिलनी चाहिए जो अन्य सदस्यों को देने का आप प्रावधान बना रहे हैं चाहे वह एक दिन के लिये भी यहां आ जाय ।

दूसरा निवेदन मेरा यह होगा कि संसद सदस्यों को जो भत्ता आप देते है, निर्वाह भत्ता, हटने के बाद उनकी पेंशन में कोई विषमता नही रहनी चाहिए कि 5 साल वाले के लिये 300 रुपया, 6 साल वाले के लिये 350 रुपये और इतने साल के लिये इतना । आप संसद सदस्यों के लिये एक स्टेंडर्ड बना दीजिये 300 रु० 350 रु० या 500 रुपया, जो तय करना है वह तय कर लीजिये और चाहे उसकी अवधि 5 साल हो या 15 साल हो उनको समान भत्ता मिलना चाहिए ।

आखिर में उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । हम सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता है । मै चाहूंगा, मेरे जैसा आदमी चाहेगा, कि अगर हम संसद सदस्य न रहें, विधान मंडलों के सदस्य न रहे तो कम से कम भत्ते के रूप मे आप कुछ मत दें परन्तु हमारे जैसे सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता को, द्वितीय श्रेणी का ही सही, हमारे लिये यात्रा के लिये पास अगर दे दें तो उसे हम ज्यादा कबूल करेंगे क्योंकि एक राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता की जिदगी ट्रेनों और बसों में गुजरा करती है, सार्वजनिक कामों में गुजरा करती है । हमे पैसों की

इतनी ज्यादा चिन्ता नहीं रहती है जितनी सफर की रहा करती है। इसलिए आप, द्वितीय श्रेणी का ही सही, हमें घूमने के लिये, यात्रा करने के लिये पास अगर दें तो मैं यह मानता हूं कि वह पैसे से ज्यादा कारगर होगा।

मैंने आपके सामने कुछ सुझाव रखे है और मैं चाहता हू कि सरकार इस दृष्टि से इस पर विचार करे। मै संसद सदस्यों की सुख-सुविधा समिति का, लोक सभा में जब मै था, सदस्य था। मैंने अपने विचार उस समिति के सामने रखे थे और मैं चाहूंगा कि सभी दलों के जो लोग है, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लोग और निर्दलीय सदस्यों की अलग से इस पर राय जानने के लिए एक कमेटी बिठाई जाय जो कि सब की राय जानने के बाद, सब लोगों की राय लेने के बाद विस्तृत रुप से विचार करे। आप अगर इस तरह की समिति बनायेंगे तो वह सही और कारगर सिद्ध होगी और मै समझता हूं कि सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी। धन्यवाद।

SHRI R. RAMAKRISHNAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I think there are a few people in the Government who get a peculiar pleasure in making *parliamentarians* like the poor boy in the Oliver Twist always crying for more.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITARAM KESRI): I hope you will not take it.

SHRI R. RAMAKRISHNAN: The point, is, I am not speaking for myself. With the grace of God, I am in a fairly good position to perform my duties as a parliamentarian with or without this allowance. But why this hypocrisy? About six or eight months ago, 425 Members of Parliament from both Houses of Parliament gave a petition to the hon. Prime Minister through the Minister of Parliamentary Affairs. At that time, with due respect to Madam, she said that it was not the right time then as there are so many poor people. "We will see later". But when is that day going to come? Can any person—whether he is a Minister, or a Deputy Minister or a Member of Parliament—cross his heart and say that he is living on a thousand rupees? I will ask like Jesus Christ—I am not a Christian but I will ask like him—why this hypocrisy? On the other hand, if you want people to be more constructive in their commitment and dedication to Parliament, you fix strict attendance rules or make them more rigorous than they are. Now people can come and sign and sit in the Lobby and gossip in the Central Hall and go away. Make attendance compulsory. Make their contribution more effective. Say that a person should attend at least one day in a week and not just sign one day and then come back after 15 days. You please do all these things and make their participation more effective. My friends in the press are there. With due respect to them, I may say that whenever there is a plea for a rise in the salaries of the MPs, the newspapers come out with all the facilities and perquisites, half of them imaginary, which the MPs enjoy. You cut out the foreign tours. This is with due respect to all the Members. Let them not mistake me. I understand the Railway Convention Committee is going to Japan, the Far East and other places, to see the working of Railways there. The Hindi Committee had gone to see about the use of Hindi. All these things you can cut. But make secretarial assistance available to them, say, for instance, a stenographer or a parliamentary assistant to take out the clippings and doing other things. You give them assistance in the form of stationary and postage. A US Senator enjoys many facilities. But that is a rich country. We cannot claim parity with them. But at least this much

[Shri R. Ramakrishnan]

assistance can be given to the MPs. The hon. Minister in informal chats with the leaders and whips of parties said that he will try to make some adjustments, as Mr. Manubhai Patel said, between the air fare and make provision for first class travel by the companion. If the Government feels that they should not be entitled to take any companion, let them say so and abolish it. But at present one person is put in first class and the other person is put in the second class. What is the point in that? This can definitely be considered.

Only one more thing. There is a lot of feeling going around about the house facilities, telephone facilities and various other facilities like medical facilities and other things. These are not very big things. Can the Government bring out statistics as to how many Parliamentarians actually use these facilities in the proper manner. Let them be very strict about these and not say: *Are Baba, yeh sab MPs ke waste hain*; they require these things. See how far these are being misused. If there is any misuse, that should be checked. If I am guilty of a misuse, I must be punished. But the genuine things you please consider and give them. That is my humble suggestion. I have been forthright. Please pardon me for that.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Do you want to speak? There is no time. (*Interruptions*). I am here to listen to everybody. But the time allotted is one hour and the Minister has to give the reply.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: Mr. Vice-Chairman, they have brought this amendment now. They should have brought it long ago. Sir, when you call for the elections, the people elect you for a term of five years; they never elect you for a period of one year or two years or three years. It is the President of India or the Government of India which is responsible for the dissolution of Parliament. So a Member is not at all responsible for it. So when it is less than five years, they should treat this as a term and give them pension accordingly.

Now, Sir, I am glad the Minister has at least brought it now. But it says here "from now onwards" those Members who were there in the first three Parliament sessions will get it. But they were deprived of it long ago. How many such people are living and how many have died? Why can't you give a retrospective effect for those who are still living? They are poor people. Why can't you do it? There are very few such people, not in hundreds and thousands, because many people have died. I appeal to the hon. Minister to consider this. Do not say about it "from now onwards"; they should be given a retrospective effect. All those who suffered previously should be benefited. Sir, I appeal to him... he is not listening, Sir, what am I to do? I appeal to him, Sir, kindly to give it retrospective effect. There are not many such persons. Many persons have died. There only a few persons. Please give to them also the same facilities and other things. The people elect them for one term, not for one year or two years. If the Government is responsible for the dissolution, the Government is at fault, and not the electorate or the Members. So, I request that if you dissolve the House after three years or four years, the concerned Members should be eligible. Even the Fourth Lok Sabha Members must get this benefit, not only the First and the Second Lok Sabha Members.

Regarding the daily allowance and other facilities, I will tell only one word. Mr. Ramakrishnan's point is correct. There are some people who are financially sound. There are some people who can live on even Rs. 10/- per day. They need not draw Rs. 50/- They can draw Rs. 10/- and they can surrender Rs. 40/- to the Government There is no objection to that. There are some people who cannot cope up with Rs. 51/-. When I had a occasion to speak when the Bill raising the

daily allowance from Rs. 31/- to Rs. 51 was introduced in the Lok Sabha. At that time the communists opposed the Bill. But outside they said that they would only oppose it, but they would draw it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): You have made your point.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: Those who oppose it, need not draw it. Those who want the daily allowance, they can draw it. About 440 people signed the petition for the amenities. Let the Minister consider it. Let them bring it before Parliament.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): That is all right. Mr. Shawl please. The time is very short.

SHRI GULAM MOHI-UD-DIN SHAWL (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-President, Sir, as far as we, the Members of Parliament, are concerned, it is an embarrassing question to say anything about our salaries and allowances. I would humbly submit that the first thing we should shun is that embarrassment because if we are honest to the cause, if we are honest to the people, to the country, we should never feel ashamed of saying anything about ourselves, our difficulties and all that.

There are simmering discontent among the Members of Parliament since last year. When I contacted my hon. friends, they said that there was a petition and that they were looking into it and that they would see what the result would be. But later on we were told, indirectly of course, that the people would be thinking something, that they would be thinking that the MPs were so conscious of, were so anxious about, their own salaries and allowances and that they were not thinking of the people at large. That is not the position.

Sir, as far as the Press or other media in the country are concerned, they must fully know what difficulties we encounter day by day. As far as the Members of Parliament are concerned, of course, there are two categories: There are some Members—we do not envy their lot—who are in better positions. But think of those Members whose only source of income was the practice at the bar. We had to give it up. Whatever the income, we had to give it up. Even during the inter-session—we cannot attend even a petty criminal case, much less a civil case in a High Court or the Supreme Court. But the question is, as far as our dependents are concerned and as far as we ourselves are concerned, we talk of our necessities, we shall never talk of the luxuries and we do not talk of the comforts even. But we are essentially concerned with our necessities. And the bare necessities we do not get. As far as his Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act is concerned, there was an amendment in 1977. But there are so many loopholes in that Act. We laugh at time when we see what is going on here. It is in a lighter vein that I had called the MSA section here not as the Amenities Section but as the Enmity section, enmity towards us. If we go there and present a bill, there are 101 rules to deny us all those things for which we have spent. Mr. Yadav said that he had to put up a "shamiana". I think he could get for Rs. 700 on credit a "shamiana", but we cannot get even for Rs. 100 anything in the bazar. Such is our condition. We should not be afraid of saying anything because these are the dictates of our conscience. We are Members of Parliament, members of the highest legislature in the country, but we suffer in so many respects. Regarding our TA/DA, Sir, you will kindly see that we are allowed to take our spouse in one journey. But when we go back or sometimes when we travel, we are not allowed to take our spouse. Why should the spouse not be allowed? As far as the telephone is concerned, there are so many calls

[Shri Gulam Mohi-ud-din Shaw]

free. But we are to pay our rent, we are to pay the water and power bills. And there hardly remains anything. I should say even the poorest labourer earns more than what we get from this Salary and Allowances Act. Sir, as far as the present Bill is concerned, I would only submit that I am reminded of one couplet of Iqbal.

समन्दर से मिले प्यासे को शबनम,

बखीली है रजा कि नहीं है।

As far as we are concerned, we demand much more. As for this pension and sixty days and all that, leave this jugglery aside. Come boldly with a comprehensive Bill. I think every section will support it except the hon. Member there. I could not understand my friend there who spoke in chaste Hindi. I could not follow him. But one thing is clear. If any hon. Member thinks that he should not get that salary, he can surrender it, of course. But don't call it salary. My humble submission is, as a lawyer, I, used to call it honorarium. Call it honorarium and pay us in such a way that we are able to maintain our dignity. Travelling in First Class or ACC is not for our comfort. Yes, we associate ourselves with common men.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Please conclude.

SHRI GULAM MOHI-UD-DIN SHAWL: So, as far as this Bill is concerned, I would support it. But I would request, humbly request, earnestly request the hon. Minister to bring a comprehensive Bill. I should say, without any further delay, so that we are able to meet our needs.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Jha. Three minutes.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय जहां तक यह विधेयक है . . . इस विधेयक का वडिंग है . . .

(व्यवधान) सात दिन जिसके कम हो उसको भी देने की बात कही गई है। इस संबंध में मैं कहूंगा कि साठ दिन को छोड़ कर एक टर्म कर दिया जाए। बात उठाई गई है दो साल के वह टर्म रहे। दो साल रहे, या तीन साल रहे, या चार साल रहेगा, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत सी बातें आ गई है। मैं कहूंगा कि इस बिल को आप पास न कीजिए। आप इसको ले जाइये और सब बातो को नेताओं को बैठ करके, बातों के ऊपर विचार करके एक कम्प्रीहैन्सिव बिल लाइये मेम्बर आफ पार्लियामेंट की सुविधा की बात जब उठाई जाती है, तो मै कहना चाहूंगा मंत्री जी को कि मुझको सदन में काम करने के लिए उनसे ज्यादा सुविधा की जरुरत है। मंत्री जी को जितनी सुविधा की जरुरत है, मुझको एक्टिव होने के लिए ज्यादा सुविधा की जरुरत है। जिससे कि मेरा काम हैम्पर्ड हो जाता है, रुक जाता है, सुविधा न होने की बजह से। फोर्थ लोक सभा के समय में एक विभूति मिश्र कमेटी थी, जब कि 21 रु० भत्ते से बढ़ा कर 51 रु० हुआ था डेली अलाउंस। उसमें और बातों के अलावा एक बात थी कि एम० पी० को अपने क्षेत्र में घूमने के लिए डी० एम० साल में 60 दिन जीप दे, पेट्रोल के साथ यह अच्छी बात थी कि डी० एम० साल में 60 दिन जीप दे लेकिन यह बात चली नही, मिश्र जी ने बात काट दी कि कोई क्षेत्र में घूमेगा नहीं। उसके बाद बात आई कि एक पी० ए० सेक्रेटरी हो क्योंकि एम० पी० को दौड़-धूप करनी पड़ती है, उसको मदद मिले। मिश्र जी ने उसको भी काटा कि कोई पी० ए० नहीं रखेगा। सब की वाइफ रातों-रात पी० ए० हो जाएगी आखीर में 21 रु० से 51 रु० दैनिक भत्ता हुआ और रेलवे का सेकेण्ड

क्लास भी हुआ । तो हम को ठीक रुप से काम करने के लिए सुविधा होनी चाहिए रिएलिस्टिक रूप में सुविधाएं नहीं होंगी तो काम करने वाले को परेशानी होगी । सुविधाएं नहीं होंगी तो काम ठीक से नहीं हो सकता है । कुछ हमारे लोग भी आते हैं । मैं महसूस करता हूं कि एक एक्टिव मेम्बर को . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : ठीक है, आपने कह दिया ।

श्री शिव चन्द्र झा : सुविधाएं मिलनी चाहिए । इसलिए अभी इसको पास न करें, एक्स एम० पी० और प्रेजेन्ट एम०पी० दोनों को लेकर कांप्रिहेंसिव बिल लाएं । उसमें 60 दिन का अभी जो प्रावधान है उसको खत्म कर दें और फ्रीडम फाइटर जो रहे हैं और एम० पी० भी रहे हैं उसमें यह बात नहीं होनी चाहिए कि फ्रीडम फाइटर एम० पी० हैं तो उनको फ्रीडम फाइटर का भत्ता न मिलेगा । इस पर भी आप विचार करें । आप ले सकते हैं मिनिस्टर के नाते लेकिन फ्रीडम-फाइटर जो एम० पी० है वह नहीं ले सकता है, इस प्रकार की एनोमली नहीं होनी चाहिए । आप इसे अभी पास न करें, वापस ले लें, बाद में कांप्रिहेंसिव बिल लाएं, यह मैं चाहता हूं ।

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । अभी सदन में सदस्यों की फैसिलिटीज़ के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसी के संबंध में मुझे भी कुछ कहना है . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): For ladies purposes?

1810 RS—10.

श्रीमती सरोज खापर्डे : जैसा कि हम देखते हैं—दोज़ हू आर मैरीड—उन को आप स्पाऊज़ पास देते हैं लेकिन जो मैरीड नहीं हैं उनके लिए बहुत परेशानी है । जो विडोअर्स हैं या विडोज हैं उन के लिए भी परेशानी है . . . .

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : या जो बैचलर्स हैं ।

श्रीमती सरोज खापर्डे : बैचलर्स के लिए भी परेशानी है । मैरीड लोगों को आप स्पाऊज़ का पास देते हैं लेकिन हमारे जैसे लोगों की बुरी हालत होती है, सेक्योरिटी पोइन्ट आफ व्यू से भी । हम लोग जो ट्रेन से प्रवास करते है, सफर करते हैं, मुझे लगता है स्पाऊज़ की जगह अगर आप "कंपेनियन" उस में जोड़ दें, इन्स्टेड आफ स्पाऊज . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Perhaps for widows one can understand but perhaps Government must be thinking to give some incentive so that you can find.... (*Interruptions*)

श्रीमती सरोज खापर्डे : देखिए उप-सभाध्यक्ष जी, यदि गवर्नमेन्ट ने आज इस प्रकार की परिस्थिति में कंपेनियन का पास देने का काम किया तो शायद भूपेश दादा और मेरे जैसे लोगों को . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I am almost inclined to sympathise with you. But I have no companion.

श्रीमती सरोज खापर्डे : इस पर आप ज़रुर कुछ करिएगा . . .

डा० भाई महावीर : दोनों एक दूसरे की समस्या हल कर सकते हैं । Both the hon'ble Members can solve each other's problems.

SHRIMATI PRATIBHA SINGH: Why? Has there been no widow or widower in the Opposition? In the same category have you a spouse, whether legally or ilegally? We want to know that, because even in the Opposition there are people like your leader, Atal Behari Vajpayee who is a bachelor. So...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I think the hon'ble Member will suggest to Mr. Vajpayee instead of suggesting to Mr. Bhupesh Gupta.

DR. BHAI MAHAVIR: That is what I am suggesting; it may be that the Government wants to solve the problem of bachelors.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Bhupesh Gupta is pretty senior. Who will marry him? He is already 70 now.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is true that both Vajpayee and myself fortunately or unfortunately are bachelors.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): But you are not an eligible bachelor. (*Interruptions*).

SHRI BHUPESH GUPTA: We are bachelors. But Mr. Vajpayee is a bachelor with a difference. (*Interruptions*).

श्रीमती सरोज खापर्डे : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे इस विषय में इतना ही कहना है कि 'स्पाउज' की जगह—विडोअर के लिए, बेचेलर के लिए—'कम्पेनियन' के नाम से पास इशू करें तो हमारे सामने जो सवाल है उस का हल निकल सकता है। इस ओर मंत्री जी का ध्यान होगा, ऐसी उम्मीद करती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Yes, Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, in this Bill, there is nothing much to speak about. How the six days have been calculated, I do not know. But, Sir, on the face of it, once you accept the principle of pension, well such anomalies should be removed. (*Interruptions*). Will the Minister stop disturbing us?

Sir, a Member has raised a big question and, also, Sir, in a way, Shrimati Saroj Khaparde has raised this point. There will be controversy over it in this case. (*Interruptions*). What is it all about?

SHRI MANUBHAI PATEL: They are saying that you should not call Khaparde as "Mrs. Khaparde", but as "Miss Khaparde" only.

SHRI BHUPESH GUPTA: Excuse me. (*Interruptions*) I apologise to you. May God bless you!

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: Sir, in Maharashtra—you come from there and I hope you will agree with me—nobody will call a girl, after her crossing a certain age, even though she is unmarried, as "Miss so and so". They will call her as "Shrimati so and so" only. They will call me "Shrimati Saroj Khaparde". "Shrimati" is supposed to be a respectable word there in Maharashtra. But you were not born in Maharashtra, Mr. Gupta.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Madam, Mr. Bhupesh Gupta is a Barrister from London and, in foreign countries, even up to the age of eighty years or so, they call a woman as "Miss..." only, whether she is a widow or not. (*Interruptions*).

SHRI R. RAMAKRISHNAN: That is why, Sir, the Women's Lib people do not want this "Miss" and "Mrs." confusion. So, they simply say "MS" I do not know whether in Hindi an equivalent to that has been found. (*Interruptions*).

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, as far as England is concerned, the less said, the better. I am not one of those who start calling "Mrs." as "Miss". But I know of many people who, for obvious reasons, prefer to call "Mrs." as "Miss" as Mrs.! *(Interruptions)*. Now, insofar as what she has said, in Bengal also, we always call unmarried girls as "Shrimati". It is a highly courteous expression. I find here that "Shrimati" is used in respect of married women only. But, in West Bengal, we use the word "Shrimati" in respect of others also. So, Sir, at least on the issue of her being a "Shrimati", we two are in agreement and there will not be any walk-out on that, I know.

Now, Sir, coming to this Bill as I said, it requires a little thinking. I am feeling a little disturbed. The whole idea of pension and other things came. My friend says that we should not take it. Many are taking it. Now it has come to stay. In other States also, Sir, pension has come to stay. We cannot now say, "Well, we reject it" and put up a brave face. We have our own ideas about it. I find this in most of the other countries also and it is permitted there and this should be permitted especially when MPs come from the poorer sections of the people, as indeed they should come gradually, and the more, the better.

Now, Sir, one thing is causing anxiety and I strike a note of warning here. During the emergency there was a big lobby. I was myself lobbied for raising the salaries, allowances and what not, and I felt like saying: Why don't you go to the State Bank of India upstairs and run away with cash? I almost felt like saying that. Now I will not say anything more than that. Discuss it from the point of view of principle. We want to put up a good image of Members of Parliament—all of us, no matter which party we belong to. We want the prestige and credebility of the institution itself. Now, Sir, when we hear that lobbies are working for raising the salary, allowances, daily allowances, by hundred per cent, seeking railway passes, air-conditioned railway accommodation, companionship and other things—I can understand many other facilities of that type....*(Time bell rings)* It is not that I am opposed to extension of some facilities. You discuss it and extend all what you need. But, Sir, if, for example, we raise our salaries by hundred per cent, emoluments by hundred per cent....*(Interruptions)* I know that you will not do it. I am not blaming anyone of you. But you see, my dear friend Saroj, you do not seem to be aware of all the lobbies. Some lobbies you are aware of. But some of these lobbies do not come to me because they think that I may be a difficult person in such matters, because they think I am an out-dated person. I do not want a terylene shirt or very expensive suits and all that. You can understand... *(Interruptions)*

SHRIMATI MONIKA DAS (Karnataka): You have no children. You cannot have the feeling...

SHRI BHUPESH GUPTA: You are the embodiment of our womanhood. *(Interruptions)*.

Now, Sir, I ask the Minister kindly to ponder over it. The emergency mentality has come. The LIC officers are being denied any rise in their salaries. Public sector people are being denied it. Many others are complaining. They are not going to get any rise in their salaries and all these kinds of things. Just at that moment if you...

SHRIMATI MONIKA DAS: One minute. When we go to the States, somebody asks us: "What is your pay? You are Member of Parliament". Then I tell him: My pay is Rs. 500 per month. They hardly believe that my pay is Rs. 500. Even a bank peon is getting Rs. 600. We Members of Parliament are getting Rs. 500.

SHRI BHUPESH GUPTA: I think I understand the Marathi lady better than I understand the Bengali lady. (*Interruptions*) With all respects to my sisters in Bengal, I am not at all against it. You discuss it as you think best. Come to your own conclusions and come together. But one thing, do not go in for what was done during the emergency. Many of you were not there. I do not blame any one.

SHRIMATI SAROJ KHAPARDE: You agree for the companion then?

AN HON. MEMBER: Lady companion. (*Interruptions*)

SHRI BHUPESH GUPTA: I can well understand Shrimati Sarojs concern for companionship just as I do about mine. But at the moment I am not dealing with that. (*Interruptions*). This subject has various aspects. Companionship is a proposition which is highly complicated. (*Interruptions*)....In certain situations. It is not just an economic proposition. If it were an economic proposition, we could settle it just now. But you know very well as well as the others do that the concept of companionship is something very elastic. Therefore, I would not go into it. It is the commonsense thing. If he travels with me as my companion or I travel with him as his companion, no complications arise. But suppose something happens. (*Interruptions*) Much as I would like to travel with them, I would hesitate to travel with them. But it will have objective complications and not subjective complications.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Shahi, please start now. Mr. Bhupesh Gupta is not listening to me. What can I do?

SHRI BHUPESH GUPTA: Well, we are not concerned with companionship. It is not a Bill for companionship. (*Interruptions*) Some amendments have been given. Some Congress(I) friends have also given amendments. You may consider them. One thing is quite clear. I have been appalled by the reports reaching me all the time to raise by 100 per cent or 150 per cent of what we are getting and a pass for first-class air-conditioned travel. In fact, the air-conditioned first-class should be abolished. That is all I want. Mr. Minister for Parliamentary Affairs, whenever you do such things, please have due consultations and consideration from this angle and don't yield to the pressure of your lobby. Once again, all my companions, I thank you for the kind hearing and I can tell you that everyone of you would be welcome as my companion notwithstanding the fact that there are complications in some cases.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी...

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : शाही जी, टाइम तो कम है, आप जल्दी खत्म कीजिए। ... (**व्यवधान**)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्व का विषय है। इस पर आप अपनी घंटी पर कंट्रोल जल्दी न करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। डा० रामसुभग सिंह भूतपूर्व रेलवे मंत्री थे जिनका अभी हाल में ही देहान्त हुआ है और वह रेल मंत्री बहुत दिनों तक थे।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : 20 साल। 20 साल। ..(**व्यवधान**)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : वह एम० पी० भी थे और रेल मंत्री भी थे। जब वह रेल मंत्री नहीं रहे तो वह एक दिन थर्ड क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। एक स्लीपर में वह गये।

उन्होंने कंडक्टर से निवेदन किया कि भाई मैं मोटा आदमी हूं, मुझे ज़रा बैठने में दिक्कत होती है तो बीच वाला बर्थ खाली छोड़ देना। कंडक्टर उनको फटकारने लगा। संयोग से एक दूसरे संसद् सदस्य वहां थे शंकर दयाल सिंह। . . (**व्यवधान**) । आप ज़रा सुनिये गौर से, कहीं आप पर न आ जाए। उन्होंने जब देखा कि उनको टी० टी० डांट रहा है तो वह उसके पास गये और कहा कि तुम पहिचानते नहीं हो, ये डा० रामसुभग सिंह हैं। तो टी० टी० ने माफी मांगी और कहा कि बड़ी गलती हुई। मैं तो आपके ही हाथ से अपाइंट हुआ था।. . . (**व्यवधान**)

डा० भाई महावीर : क्या गलती हुई अपाएंटमेंट मे ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हंसी में मत टालिये महावीर जी। जरा समझिये। जनसंघ के लोग कभी-कभी बोल जाते हैं (**व्यवधान**)। मैं यह कह रहा था कि बजाय इसके कि आप एम० पी० की पेंशन ब ढ़ायें या सेलरी बढ़ायें मैं इसके सख्त खिलाफ हूं क्योंकि हम लोगों का पहले ही से राजनीतिक जीवन ऐसा रहा है कि हम अपनी सेलरी बढ़ाने के पक्ष में नहीं रहे। लेकिन फेसिलिटी आप जरूर इतनी दें कि जब वह संसद सदस्य न रहे या संसद सदस्यता से रिटायर हो जाए तब भी एज ए सोशल वर्कर, पोलिटिकल वर्कर उसे काम करने की सुविधा रहे। उतनी ज्यादा आवश्यकता 5 सौ, तीन सौ रुपये की नहीं है जितनी आवश्यकता इस बात की है कि पालिटिकल वर्कर जब एम० पी० न भी रहे तब भी अपने सूबे में, अपने देश में वह घूम सके और राजनीतिक और सामाजिक कार्य कर सके। इस बात की मांग सभी कार्नर से बहुत अर्से से होती चली आ रही है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री इतने मीठे हैं कि किसी बात से इन्कार भी करते नहीं हैं और कुछ करते भी नहीं हैं। न इन्कार करते हैं और न कुछ काम ही करते हैं। जब से यह संसदीय मंत्री हुए तब से हम देखते हैं कि सैंकड़ों एम०पी० हर दल के उनसे इस बात को कह चुके हैं कि आप सुविधाएं बढ़ाएं ताकि पालिटिकल वर्कर के तौर पर अपना काम कर सकें।

श्री कल्पनाथ राय : बिजली-पानी।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : अपने क्षेत्र में जा सके। आज हालत यह है कि अपने जिले में कहीं पर कोई भीषण घटना हो जाए और वहां जाना चाहें तो अपने स्थान से उस स्थान तक आने-जाने के लिये जीप के दो सौ रुपये लग जायेंगे। इससे कम में कोई जीप जाने के लिये तैयार नहीं होती क्योंकि वह वहां से 25–30 मील दूर है। हम को पांच सौ रुपए के करीब तनख्वाह मिलती है उसमें से 200 रुपये जीप के हम कैसे खर्च कर सकते हैं। जाना भी आवश्यक होता है इसलिये खर्च करना पड़ता है।

श्री कल्पनाथ राय : बिजली-पानी के बारे में तो बोलते नहीं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : पैसा बढ़ाने के बदले आप सुविधा अवश्य बढ़ायें और जल्दी बढ़ायें। (**समय की घंटी**) शुरू में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक घंटा और ज्यादा बैठ जायेंगे। मुझे थोड़ा और बोलने दें।

श्री कल्पनाथ राय : रेलवे के बारे में बोलिये।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हम लोग, संसद सदस्य जो काम करना चाहते हैं उन्हें दो-दो घंटे अपने हाथ से लिखना पड़ता है।

श्री कल्पनाथ राय : सही बात है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : चाहे सवाल लिखना हो, कालिंग अटेंशन लिखना हो, हमें

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]
अपने घर के अन्दर कार्बन लगा कर दो-दो घंटे तक लिखना पड़ता है और तब जल्दी-जल्दी वहां से दौड़ कर नोटिस आफिस में दाखिल करना पड़ता है।

श्री रामा नन्द यादव : 10 बजे के पहले।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आपके आफिस वालों ने शर्तें रखी हुई है कि 10 बजकर 10 मिनट तक जो नोटिस आफिस में दाखिल हो जाएगा उन्हीं के कागजों पर गौर करेंगे चेयरमैन साहब। हम को अपने घर पर बैठ कर सारे अखबार, सारी-न्यूज, सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है और तब चाहे स्पेशल मेंशन हो या कालिंग अटेंशन हो उसको लिखकर यहां दौड़ कर आना पड़ता है। मंत्रियों को तो आपने चार-चार, पांच-पांच पी० ए० दे रखे हैं। एक सेक्रेटरी है, एडीनशल सेक्रेटरी है, पी० ए० है और दूसरा स्टाफ है लेकिन एम० पी० को कुछ भी नहीं दे रखा है। आप एम० पी० को कम से कम इतनी सुविधा जरूर दें कि वह अपना सेक्रेटरी या पी० ए० रख सके जो उसके पालियामेंट के काम में सहायता करे। यह सुविधा आप दे सकते हैं लेकिन इस पर आप विचार नहीं करते।

श्री कल्पनाथ राय : एम० एल० ए० को फैसिलिटी है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : बगल में हरियाणा, है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। हर जगह विधायकों की तनख्वाह एम० पी० से ज्यादा है। आज ही अखबारों में यह बात आई है कि मध्य प्रदेश में श्री अर्जुन सिंह साहब ने टेलीफोन का एलाउन्स तीन सौ रुपये बढ़ा दिये हैं। उन्होंने यह भी प्रोवाइड कर दिया है कि अगर अपने टेन्योर के दरमियान कोई विधायक मर जाएगा तो उसके टैन्योर के दौरान उसकी पत्नी को दो सौ रुपये माहवार मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जब सरकार विधायकों के लिए सारी सुविधाएं कर रही तो मैं श्री भीष्म नारायण सिंह जी से कहूंगा कि वे संसद् सदस्यों की तरफ भी ध्यान दें.. (**समय की घंटी**)। वाइस चेयरमैन साहब, कल हमारा हाउस साढ़े आठ बजे तक बैठा है, आप जरा हमें बोलने दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी) : आप जल्दी खत्म करिये। इतना टाइम लेना ठीक नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं खत्म कर रहा हूं। मंत्रियों के लिए बिजली-पानी सब कुछ फ्री होता है। विधायकों के लिए भी सब चीजें फ्री हो गई हैं। उनका जो खाना बनता है वह भी फ्री हो गया है, गैस फ्री हो गई है। अगर उनका कोई गैस्ट होता है तो उसके लिए भी खाना फ्री हो गया है। वह भी खाना वहीं बनाता है। आप जानते हैं कि हमारा बिजली का बिल कितना आता है? मेरा पिछले महीने का बिजली-पानी का बिल ढ़ाई सौ रुपये आया है। 234/-रु० का बिल आया है। इस तरीके से हम लोगों के बिजली और पानी पर ही काफी पैसा देना पड़ता है। श्रीमन्, एक शब्द मैं यह भी कह दूं कि मैं इसके खिलाफ हूं कि यह तनख्वाह और पेंशन की रकम न बढ़ाई जाय। अब तो हमारी पालियामेन्ट में बहुत बड़ी संख्या में मिल-मालिक आ रहे हैं। वे अपने रुपये के बल पर टूट पड़ते हैं। उनके सामने अपने काले धन को कैसे खर्च किया जाय, यह समस्या रहती है। वे राज्य सभा और लोक सभा के लिए 10-10 लाख और 5-5 लाख रुपये टिकट लेने के लिए झौंक देते हैं। पालिटिकल पार्टियों को रुपया देते हैं। ये सारे लोग यहां पर आ रहे हैं। पालियामेन्ट में कोई भी साधारण पालिटिकल वर्कर आने की बात सोच भी नहीं सकता है। आप संसद्-सदस्यों की तनख्वाह बढ़ायें या पेंशन बढ़ायें, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हू कि पालिटिकल वर्कर्स को अपना काम करने की सुविधाएं होनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि आप संसद्-सदस्यों को वे सुविधाएं उपलब्ध करायें जिससे वे किसी की पाकेट में न पड़ें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आप इन सब बातों पर विचार करके कोई ऐसा विधेयक लायें जिससे संसद्-सदस्यों को वे सभी सुविधाएं प्रदान की जा सकें ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से निभा सकें। वर्तमान विधेयक का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि एक एम० पी० को ईमानदारी के साथ अपना काम करना है तो उसके लिए आप सब सुविधाएं प्रदान करें। अपने कुछ साथियों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो पैसे वालों के बल पर पी० ए० रखते हैं, पैसे वालों के बल पर गाड़ियां रखते हैं, पैसे वालों के बल पर दूसरी चीजें रखते हैं। पैसे वाले मिल-मालिकों से उनका सम्पर्क रहता है। उनके लिए वे काम करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप एम० पीज० को ईमानदार रखना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वे पैसे वालों की पाकिट में न जायें तो उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कीजिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Jain, you asked for three minutes.

SHRI J. K. JAIN (Madhya Pradesh): No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): If everybody says no, no, I cannot conduct the House like this. Mr. Jha spoke for three minutes. Now everybody wants ten minutes.

श्री जे० के० जैन : उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं अपने माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह जो रूल्स और नार्म्स बनते हैं वे हमारे ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं और मंत्री जी उनको यहां लाकर पास करवाते हैं। अगर देखा जाय तो संसद्-सदस्यों को इन ब्यूरोक्रैट्स ने चपरासी और क्लर्क से भी ज्यादा बदतर बना रखा है। तनख्वाह का जो कलंक संसद्-सदस्यों के माथे पर लगा हुआ है, मेरी यह मांग है कि इस कलंक को जितनी जल्दी मंत्री जी हटा दें उतना ही अच्छा होगा। आप जानते हैं कि संसद्-सदस्यों को केवल 500 रु० माहवार तनख्वाह मिलती है। लानत है ऐसी तनख्वाह लेने पर। एक संसद्-सदस्य का बिजली का बिल, उसकी

5 P.M.

कांस्टिटुयेंसी से लोग आते हैं, मिलने वाले लोग आते हैं, हम यहां सदन में बैठे होते हैं और कांस्टीटुऐंसी के लोग वहां बैठे रहते हैं पंखा चलता है, बिजली जलती है, फ्रिज भी चलता है, उनको पानी दिया जाता है। बिजली का बिल 250 रु०, 300 रुपये और पानी का बिल 150 रुपये और 200 रुपये आता है। जो लोग कांस्टीटुयेंसी से आते हैं वे टेलीफोन का प्रयोग भी करते हैं कितना जबर्दस्त बिल आता है। जलपान पर भी आता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कहा जाता है कि राजनीति से भ्रष्टाचार को हटाया जाय। पर भ्रष्टाचार कहां से हटेगा ? भ्रष्ट बनाने के लिए तो यहां काम हो रहे हैं; संसद् सदस्यों को भ्रष्ट बनाने के लिए उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, कि आप भ्रष्ट बनिये। आपका महीने में जो खर्चा होता है उसके लिए रिश्वत लीजिये, आप लोगों से रिश्वत लेकर काम करवाइये, कांस्टिटुयेंसी के लोग यहां आयें और इस तरह से आप उनकी सेवा करें। कोई भी संसद्-सदस्य चाहे मकान उसको सरकार से मिला हुआ हो, उसमें रहे या न रहे लेकिन उसके मेंटिनेंस पर, उसके बिजली के बिल पर, टेलीफोन के बिल पर, लोगों की आवभगत पर, फर्नीचर के किराये पर, पर्दों के किराये पर और बिल्डिंग के किराये पर 1500 रुपये और 2000 रुपये से कम खर्चा आता नहीं है। ले लीजिये अपनी

[श्री जे० के० जैन]

तनख्वाह वापस । हमें नहीं चाहिये यह 500 रुपए का कलंक। लेकिन जिस मकसद से संसद् सदस्यों को चुनकर बुलाया है आपने उसको देखते हुये यह सुविधा आपको उन्हें प्रदान करनी चाहिये । नहीं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं इन संसद्-सदस्यों को भ्रष्ट होने के लिए ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपने मंत्री जी से । इंटरमीडिएट जरनी यहां पर परमिट की जाती है और प्रोत्साहित किया जाता है कि आप सदन में न रह कर हवाई जहाज के द्वारा सैर कीजिए । आप क्या सदन के सदस्यों को हवाई यात्रा

[श्री उपसभापति पीठासीन हुये]

करने के लिए बुलाते हैं ? मैं यह नहीं कहता कि इंटरमीडिएट जरनी खत्म कर दीजिए । लेकिन उपसभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है । जैसे कि एक सेशन के अन्दर दो या तीन जरनी दी जाती हैं । साल में 3–4 सेशन होते हैं टोटल । इस तरह से 8 या 10 जरनी होती हैं । मैं यह नहीं चाहता कि यह जो 8 या 10 जरनी संसद् सदस्यों को जो दी जायें उसे इस तरह से रस्सी से बांध कर रखा जाय । आप कहते हैं कि साल के अन्दर आठ जरनी देंगे लेकिन इसमें आप उनको यह सुविधा दें कि वे किसी भी वक्त अपनी कांस्टीटुएंसी में जा सकें । मतलब क्या है इस बात का कि सदन चल रहा है और संसद् सदस्य अपनी इंटरमीडिएट जरनी के लिए यहां से जा रहे हैं । आप ऐसे गंदे नार्म्स को उसमें से क्यों नहीं निकालते हैं । किसी ब्यूरोक्रेट ने ऐसा कानून बना दिया और पोलिटीशियन, राजनेता और मंत्री लकीर के फकीर बन कर क्या चलते रहेंगे ? आप ऐसे गलत नार्म्स को फौरन हटायें और संसद्-सदस्यों की तनख्वाह बढ़ाने की जगह और पेंशन देने की जगह आप काम ऐसा करिये कि जो संसद् सदस्य है वे अपने देशवासियों, नागरिकों और अपनी कास्टीटुएंसी के लोगों की सेवा कर सकें और उस सेवा के लिए आपको चाहिये कि आप उनको इस तरह की सुविधायें प्रदान करें । आप यह मत समझिये कि एक मंत्री के ऊपर ही सारा काम होता है । मंत्री से ज्यादा काम संसद् सदस्य करते है । संसद् सदस्यों के पास इतना ही काम होता है जितना मंत्रियों के पास होता है। आपका अगर एक पी० ए० खीच लिया जाय तो आपको पता लगता है । 6 पी० ए० के होते हुये भी आप 1 पी० ए० तक को सरेंडर नहीं कर सकते और उधर आप संसद् सदस्य को एक क्लर्क और एक टाइपिस्ट से भी बदतर रखते हैं । उसे हर चीज को हाथ से लिखकर देना पड़ता है । अगर डिलीवरी करनी हो तो कहां से आयेगा चपरासी और एक बाइसिकल की कीमत आज 450 रुपए है। क्या मजाक बना रखा है। बात करते हैं पेंशन की और 60 दिन घटाने की लेकिन बात नहीं करते कि इस तरह की संसद् सदस्यों को सुविधा दी जाय काम अगर कराना चाहते है, बैल अगर काम करता है तो उसको भी पेट भर खाना देना पड़ता है तभी वह काम करता हैं नहीं तो बैल सींग मारता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप संसद् सदस्यों की तनख्वाह, उनकी पेंशन की बात न करें, उनको सुविधा दी जाय, वे अपने देशवासियों की सेवा कर सकें ।

श्री असद मदनी (उत्तर प्रदेश) : डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन तो है ही, मैं उनकी सहूलियतों और बेहतरी के लिए कहना चाहता हूं कि जो कभी पार्लियामेंट के मेम्बर रहे हैं, और रिटायर हो चुके हैं। उनके पास कम से कम एक ऐसा कार्ड हो जिससे कि वे जब

रेल में या कहीं और भी जायें तो उससे लोग यह समझें कि वे वी० आई० पी० हैं, और उनको थोड़ा बहुत तरजीह मिले। ऐसी हालत हो जाती है पार्लियामेंट के मेम्बरान की जो कि रिटायर हो जाते हैं जैसा कि अभी श्री रामसुभग सिंह जी का किस्सा सुनाया, वह खड़े रहते हैं और दूसरे लोग थ्री टायर और फर्स्ट क्लास में सीट हासिल कर लेते हैं। या कहीं डाक बंगले में जा कर ठहर जायें। उनको ऐसा कोई आप आइडेंटिटी कार्ड दें जिससे यह पता लग सके कि वह इतने दिनों तक मैम्बर रहा। उनको अपने सूबे में, हल्के में अफसरान को मिलने के समय आइडेंटिटी कार्ड होना एक अच्छी बात होगी, इसलिए हम यह चाहते हैं कि आप इस पर गौर करें।

इसी तरीके से फर्स्ट क्लास का पास दूसरा भी होना चाहिए। बीबी, मां, बहन या बेटी या बेटा या भाई किसी जरूरत के लिए अपने साथ रखने की जरूरत पड़ सकती है। आजकल तो 11-12 बोगियों की बड़ी-बड़ी ट्रेंस हो गई हैं। एक किनारे पर फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं और दूसरे किनारे पर स्लीपर में दूसरे को जगह मिलेगी या सिटिंग में मिलेगी तो कोई सूरत नहीं कि बम्बई तक अगर कोई काम पड़ जाए तो उसकी सूरत देख सके। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फर्स्ट क्लास का दूसरा पास भी होना चाहिए। इससे ज्यादा जुल्म यह है कि काम के सिलसिले में जब आपने फर्स्ट क्लास का पास पूरे हिन्दुस्तान में सफर करने के लिए दे रखा है लेकिन अब तो हवाई जहाज भी ट्रेंस की तरह से पूरे हिन्दुस्तान में हो गए हैं। जो फेसिलिटीज आपने पार्लियामेंट के मेम्बरों को दी हुई है उतनी ही फेसिलिटीज या उसी तरह से हवाई जहाज में सफर करने की सहूलियत आज तक आपने नहीं दी। अगर जरूरत पड़ जाए तो वह थोड़े से वक्त में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जा सके जिसका उसको 100 फीसदी किराया देना पड़ता है। लेकिन अगर वह ट्रेन में जाए तो वह मुफ्त में पहुंच जाए। वही ट्रेन का भी कनसेशन 50%, 33% आज तक आपने नहीं दिया। अगर फ्री नहीं कर सकते तो जैसे कि दूसरे मुल्कों में प्लेन की सर्विस की बहुत से दूसरे मुल्कों में सहूलियत है वैसे ही दे दें। अब तो हवाई जहाज का सफर कोई एयर कंडीशंड जैसे नहीं रह गया। अब तो हवाई जहाज का सफर ट्रेन की तरह से हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैम्बर पार्लियामेंट मुल्क से वाकिफ हों, चीजों को देखें और आपकी सही खिदमत करें तो आपको उनको हवाई जहाज से सफर करने की सहूलियत देनी चाहिए। अगर फ्री न करें तो कम से कम इतना कनसेशन तो दें जिससे अगर वह सफर करें तो उसको बर्दाश्त कर सकें।

इसी तरीके से हाउस के किराये की बात है। असेम्बलीज में फ्री रहने की, बिजली वगैरह की सहूलियतें हैं। दफ्तर के काम में दो तीन एम० पीज० को एक आदमी दे दें जो दो-तीन घंटे आ कर उनकी जरूरी कारसपोंडेंस अटेंड कर सकें। अगर एक आदमी एक एम० पी० को दे दें तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो बहरहाल कुछ न कुछ होना चाहिए। इस मौजुदा शक्ल में कुछ किया जाए। जल्दी इस काम के लिए कुछ किया जाए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मान्यवर मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन लोगों ने इस छोटे से

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

विधेयक में इतनी दिलचस्पी ली है और आपने बहुमूल्य सुझाव दिए । इस बिल का उद्देश्य बहुत साधारण है और यह भूतपूर्व संसद् सदस्यों से सम्बन्ध रखता है । लेकिन इसी के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी वर्तमान सम्मानित सदस्यों की कठिनाइयां जो उनके सामने हैं, उनके बारे में मिली । हम भी अपने को उन लोगों से अलग नहीं मानते और उन्होंने जो चिंता, भावनाएं व्यक्त की हैं, कठिनाइयों के बारे में चर्चा की है उस के बारे में हमें सहानुभूति है । मुझे यह मालूम है कि भारतवर्ष में जो संसद् सदस्यों को वेतन, भत्ते या जो सुविधायें मिलती हैं उससे दूसरे देशों में कहीं ज्यादा कर के मिलती हैं । जैसे कि अभी नागेश्वर प्रसाद शाही जी ने कहा कि कुछ विधान-सभाओं या विधान-परिषदों के सदस्यों को भी सुविधायें संसद् सदस्यों की तुलना में शायद ज्यादा मिलने लगी हैं । लेकिन इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम सब लोगों ने इन सभी विषयों पर विचार करने के समय इस बात की चिंता रहती है कि आपकी जो वास्तविक कठिनाइयां हैं उन्हें दूर किया जाए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है जिससे आप सब भी सहमत होंगे कि आप संसद् सदस्य हैं, समाजसेवी भी हैं । भारतवर्ष में समाज सेवक का स्थान बड़ा ऊंचा रहा है । इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही निर्णय होते हैं । और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हमारे वयोवृद्ध नेता श्री भूपेश गुप्त जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो इनका विचार कुछ और ही था । लेकिन श्री भूपेश जी भी इस बात से असहमत नहीं थे कि संसद् सदस्यों को काम काज करने के लिए उनकी सुविधायें बढ़ायी जायें । तो इसलिए मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब संसद् सदस्यों के संबंध में विचार हम सब करेंगे और मेरे पास दो किस्म के रिप्रेजेंटेशन आये हैं, एक तो आया है संसद् सदस्यों के द्वारा जिसमें लगभग सभी दल के संसद् सदस्य हैं, वह पिछले सत्र में मुझे दिया गया और दूसरा जो ज्वाइंट कमेटी आन सेलरी एण्ड एलाऊंसेज आफ एम० पीज० का है उसके कुछ रिकमेंडेशन मुझे मिले हैं । रिकमेंडेशन पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जैसा मैंने आपसे बताया, मैं आपसे अपने आपको भिन्न नहीं मानता हूं । अतः बिल्कुल व्यावहारिक दृष्टिकोण जो है वह फैसला लेने में अपनाया जायेगा । इस वजह से कि जो आपकी वाजिब कठिनाइयां हैं उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और दूसरी तरफ इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जो आदर्श हमारे संसद् सदस्यों का उपस्थित है उसको किसी तरह से आंच लगे ।

जहां तक श्रीमती सरोज खापर्डे की बात है । अब मैं उनको कुमारी कहूं या श्रीमती मुझे पता नहीं क्योंकि हमारे बिहार में कुमारी कहा जाता है. (व्यवधान) परन्तु उन्होंने खुद ही कहा कि महाराष्ट्र में श्रीमती कहा जाता है । इसलिए मैं श्रीमती सरोज खापर्डे जी से यह कहना चाहता हूं क्योंकि जितने सम्मानित सदस्यों ने विवाद में हिस्सा लिया उनमें एक सम्मानित सदस्या और एक सम्मानित सदस्य अविवाहित थे तो आप दोनों से मेरी बड़ी भारी सहानुभूति है । भूपेश जी तो बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन उस बुजुर्ग से भी मुझे काफी सहानुभूति है और जो सुझाव आपने दिए हैं उन सुझावों के प्रति मेरी सहानुभूति है ।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है मैंने आपसे बताया, जिक्र किया कि यह क्लाज 8. . . (व्यवधान) सहानुभूति से बढ़कर और कौन सी भावना मैं प्रकट करूं।

श्रीमती सरोज खापर्डे : सहानुभूति और विचार करेंगे या नहीं करेंगे, इन दोनों में फर्क है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : जहां तक इस छोटे से विधेयक का प्रश्न है यह क्लाज 8 से संबंधित है और उसी के संशोधन के रूप में हमने प्रस्तुत किया है और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है, पूरा विचार करते समय ध्यान रखा गया है कि आखिर जब हम 60 दिन के लिए यह संशोधन लाते हैं तो क्यों लाते हैं। क्यों 60 दिन के संशोधन की आवश्यकता पड़ी, दो विचार चल रहे थे। यह बताना इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि श्री पटेल जी ने यह कहा कि जो चौथी लोक सभा और छठी लोक-सभा के सदस्य रहे उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, तो दो बातों का ध्यान रखा गया है। एक तरफ दो यह रखा गया कि रिकमेंडेशन इस ढंग के भी आये कि जिसमें कहा गया कि पेंशन हटा दी जाये और एक तरफ यह भी कहा गया कि पेंशन की रकम बढ़ाई जाये, और भी लोगों को शामिल किया जाये। पूरी बातों को सामने रखते हुए क्योंकि भगवान न करे मैं ऐसा नहीं मानता कि कभी हमारी संसद् प्रणाली में ऐसा वक्त आयेगा कि महीने दो महीने का किसी वक्त लोक सभा का कार्यकाल होगा। ऐसा नहीं है लेकिन आप मान लें सरकार तो बहुत आगे सोचकर काम करती है तो उसके परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। मान लीजिए दो हजार शताब्दी में दो महीने में लोक सभा विघटित हो गयी तब क्या उनको पेंशन दी जायेगी या उनको भी सुविधा दी जायेगी। यह कैसे होगा इसको आप सोचिए। इस वजह से तमाम बातों को रखकर निर्णय लिया गया कि अभी हम लोग जैसे पहली लोक सभा, दूसरी लोक सभा और तीसरी लोक सभा में जिसमें 60 दिन कमी हो रही थी जिसकी वजह से वे वंचित हैं उनको वह सुविधा देने के दृष्टिकोण से यह एक संशोधन विधेयक के रूप में लाये और इसमें सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिला। जब आप विचार व्यक्त कर रहे थे तो सभी लोग इस विषय से सहमत थे कि हां संसद् सदस्यों की सुविधा वगैरह में . . . (व्यवधान)

श्री नरसिंह प्रसाद नन्द (उड़ीसा) : इसमें आपका सहयोग नहीं मिल रहा है. . . (व्यवधान)

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं वही कहने जा रहा था. . . (व्यवधान) मैंने कहा कि यह विधेयक सम्बन्ध रखता है सीमित उद्देश्य से, जो भूतपूर्व संसद् सदस्य हैं उनसे सम्बन्ध रखता है। जो वर्तमान समस्याएं हैं, उनके सम्बन्ध में मैंने कहा कि रिप्रेजेंन्टेशन मुझे मिले हैं। लगभग सभी दलों के सम्मानीय सदस्यों का, और जो मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट के लिए सैलरी और अलाऊंसेज की जायंट कमेटी है, उसका रेकेमैण्डेशन भी है। आपसे मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। अच्छा यह होगा . . . (व्यवधान)

श्री मनुभाई पटेल : दूसरी सुविधाओं के बारे में तो मैं समझ सकता हूं लेकिन जो तीसरी लोक सभा और चौथी लोक सभा— इस बिल के साथ यह बिलकुल इनकंसिस्टैंट कुसंगत बात थी। चौथी लोक सभा का दो महीने में विसर्जन नहीं हुआ था, चार साल तक चली थी। केवल एक साल पहले उसका विसर्जन हुआ. . . . (व्यवधान) इसमें चौथी लोक सभा के सदस्यों का कसूर नहीं था।

जहां तक अमनिटीज की बात है, मैं समझ सकता हूं, आप दूसरा कम्प्रीहैन्सिव बिल लाएं

[श्री मनुभाई पटेल]

और इसमें अमनेटीज़ शामिल करें, लेकिन इस बिल में शामिल क्यों नहीं करते हो, चौथी लोक सभा को क्यों शामिल नहीं करते हो, क्या दिक्कत है?

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने पहले ही आपसे इस बारे में निवेदन किया कि दो विचार थे। एक विचार था कि इस पर अटेन्शन बिलकुल दिया ही न जाए और दूसरा यह था। तो उसमें समावेश करना था, तो मैं इसको कैसे उचित ठहराऊंगा... **(व्यवधान)**

श्री प्रकाश मेहरोत्रा (उत्तर प्रदेश) : हमारे मित्र जानना चाहते हैं कि आपकी सहानुभूति की अनुभूति हमको कब तक होगी ...? **(व्यवधान)**

श्री भीष्म नारायण सिंह : मेरी राय यह है कि मेरी सहानुभूति अगर कुछ उसके कार्यान्वयन के रूप में ही आपके समक्ष वह बात आए तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि मैं आपको आश्वासन दूं इस तरह का, जिसमें आशा की दुनिया में अवतरित करते रहें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सदन की स्वीकृति प्रदान की जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Clause 2. There are four amendments. Amendment No. 3, Shri Vaishampayen—not there. Shri Deshmukh—not there. Amendment No. 3 not moved. Amendment No. 4 Shri Ramanand Yadav, are you moving or not moving?

श्री रामानन्द यादव : मैं अमेंडमेंट को उठा लेता हूं। लेकिन उठाने से पहले दो बातें कह देना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : उठाने से पहले दो बातें कहने की जरूरत नहीं है। Amendment No. 4 by Shri Mulka Govinda Reddy—not moved.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: Sir, my name is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then you speak later on, not at this stage. So you are not moving it. Amendment No. 5.

Clause 2—Amendment of section 8A.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I move:

5. "That at page 1, line 13, for the figure "1980" the figure "1981" be substituted."

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment No. 6 by Shri Kalyanasundaram —not moved.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

5. "That at page 1, line 15, for the figure "1980" the figure "1981" be substituted."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति जी, मेरा अमेंडमेंट यह था कि स्वतन्त्रता सेनानी एक्स एम०पी० जो हैं उनकी संख्या धीरे-धीरे काफी घट गई है ; उन की संख्या नगण्य रह गई है। आज हम एम०पी० हैं तो एम०पी० के नाते हम फ्रीडम फाइटर के नाते जो पेन्शन मिलती है वह ले सकते हैं, एम०पी० रह कर, क्योंकि इनकम का जो लिमिट था उसको सरकार ने हटा दिया। लेकिन जिस दिन हम एम०पी० नहीं रहेंगे तो या तो एम०पी० की जो पेन्शन है उसको लें या फ्रीडम फाइटर की पेन्शन लें, उन दोनों में से किसी एक को चुन कर लेंगे। तो मेरे अमेंडमेंट का मकसद यह था कि यह एनामली हटा दी जाए क्योंकि संख्या बहुत कम रह गई है और ये फ्रीडम फाइटर्स देश की सेवा किए हुए हैं, उन को रिवार्ड मिला है, पेन्शन नहीं कहना चाहिए। यही मेरा अमेंडमेंट रखने का मन्शा था। मैं मन्त्री जी से इस बारे में आश्वासन चाहता था।

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: Sir, I am glad the Minister is interested in providing pension for the other people who are not able to get it. He has put 60 days. That is all right. Through oversight or bad drafting by the officials, the Members of the First Lok Sabha and the Second Lok Sabha are not getting pension from 1976 whereas others are getting. You have found out the mistake. When you want to help them by putting 60 days, why can you not give them pension from 1976? Why do you want to give them from today? Is it not a discrimination? That why I appeal to the hon. Minister to consider giving it retrospective effect.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That point is there.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Actually it is not possible at the moment to accept the amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no amendment.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: It is not possible because financial implications are there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 (Short title)

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I move:

2. "That at page 1, line 4, for the figure "1980" the figure "1981" be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I move:

1. "That at page 1, line 1, for the word 'Thirty-first' the word "Thirty-second' be substituttd."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

'That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.'

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was proposed.

SHRI MANUBHAI PATEL: I am very sorry to state that the hon. Minister has not appreciated a very relevant point which was quite consistent with the amending clause of the Bill. I had requested, and had moved an amendment also, that the Fourth Lok Sabha Members should be included along with those of the First and the Second.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That point, you have already made.

SHRI MANUBHAI PATEL: I would like to make a request again. . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

SHRI MANUBHAI PATEL: ....because this is a very half-hearted measure, a very limited one, and this discrimination between a Member and another Member, I think, is not proper. The analogy of dissolving the House within two months or so, does not apply here because that was for four years. Why should the Members of the Fourth Lok Sabha suffer? They must also be included.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rajya Sabha Members will not suffer.

SHRI MANUBHAI PATEL: I am not having in mind the Rajya Sabha Members only. This is for a cause, for an institution. So, I would request the hon. Minister kindly to come again with a comprehensive Bill and see that along with other things which were suggested by the hon. Members, the Fourth Lok Sabha Members who are being excluded in the amending Bill this time, are also included.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): Sir, I would just like to invite the attention of the hon. Minister to consider one item, that is, protocol. It is not money that matters. I demand with emphasis that protocol should be extended to ex-Members. That is number one. I was pained to read a letter from one of the ex-Members, Mr. H.V. Kamath, who is not only an ex-Member of the Lok Sabha, but who is also one of the living Members of the Constitutent Assembly, that he could not get a railway reservation from V.T. Sir, I demand that the Minister should consider the suggestion that on the retirement of a Member, the pass should be converted into an identity card-cum-railway reservation card. So whenever a Member, who has to work in the cause of sicial service or in politics, retires, at the time of handing over the pass, he should get this facility. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you have made your point.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: . . . .because today those who are. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your point is clear. Don't elaborate.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: No, no,- let me make my point clear. Just one minute. Then some of the officers of the railways get a family pass even after retirement. So I think the ex-Members should be given either a railway pass to come to Delhi during at least one session of Parliament from their residence or every year they may be given some coupon for 10,000 kilometres or whatever is the distance that you decide upon. That will enable the ex-Members to remain the public arena. Today we are Members. Tomorrow we may be ex-Members. So to keep these people alive in politics or in social service, this protocol must be maintained.

Another point is—the Minister may check this up—in one of the States, in Maharashtra or Gujarat, they have made this pension admissible to all the Members, whether they have completed their term or they could not because the Assembly had been dissolved. Therefore, I say that Mem-

bers of the Lok Sabha which was dissolved in 1970 and also Members of the Lok Sabha which was dissolved in 1979 should be given this pension as it is not their fault that they could not complete the term. That is number two.

Another point is, when ex-Members come to Delhi, either in the Western Court or in the Vithalbhai Patel House, or in some such area, some accommodation can be earmarked so that they can come and stay there with the same privileges as the Members have. (*Time bell rings*) Then the ex-Members of the Constituent Assembly have no scope to enter the Inner Lobby of the Rajya Sabha. I think this should be extended. (*Time-bell rings*) So the protocol should be extended to the ex-Members also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister has already replied to all the points. There is no need for him to reply now.

The question is:

'That the Bill, as amended, be passed.'

The motion was adopted.

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at twenty-eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 26th February, 1981.

GMGIPMRND—1080RS1-5-81—570.